

3

क्रमांक प 9 (1) शिक्षा-5/2010 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 24/6/14

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,  
बीकानेर।

MIE  
24/6/14

विषय:- दिनांक 04.06.2014 की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में लिये निर्णयों के सम्बन्ध में आदेश जारी करवाने बाबत।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक शिविरा/प्रार/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18894/13-14/वो-1/228 दिनांक 18.06.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 04.06.2014 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 3 आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व मान्यता प्राप्त जिन गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 31 मार्च, 2013 से पूर्व प्रारूप 1 में स्वघोषणा मरकर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक कार्यालय में जमा करवा दी उन्हें सम्बन्धित कार्यालय द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार आरटीई की मान्यता जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

21/6/14

वरिष्ठ शासन उप सचिव

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रार/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर निर्माण/18894/13-14/वो-1/4 दिनांक:- 25/6/14

प्रतिलिपि मिम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प.12(6) शिक्षा-5/2014 जयपुर दिनांक 24.6.14 के क्रम में।
3. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.).....को प्रेषित कर लेख है कि जिले में लम्बित पत्रावलि पर नियमानुसार कार्यवाही कर आरटीई के तहत मान्यता जारी करें।
7. रक्षित पत्रावली।

25/6/14  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर